

(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़
 अनुमान :- धर्मपाल आदि
 धारा :- 251-ए आर.टी.ए
 बनाम कलावती आदि
 मुकदमा नं:- 75 / 2018

व
ना
म

दिनांक

हुम या कार्यवाही मय अनिशिल्या जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुम की तारीख
में जारी हुआ।

1.05.2018

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र पेश किया गया।
 वाद कार्यालय टिप्पणी के प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया
 जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये समन द्वारा तलब किया
 जावे। पत्रावली दिनांक 14.05.2018 वारते तलबी प्रतिवादीगण
 पेश हो। (al)

चरित्र
नेतरम
Signature
(Mansingh)

4.5.18

कलावती पेश (डॉ.) जयकिशोर शर्मा (ए.ए.ए.)
 भोजपुरी को. 1 ता 4 की ओर से श्री गुरुदेव प्रसाद एड. के
 बखालत नामा पेश किया। जयकीशोर व कलावती
 1 ता 4 के स्वयं जाचिर आकर लोक अदालत की
 मानक से शर्मा नामा पेश किया व गुताबिक शर्मा नामा
 शर्मा लीकृत करने का जमान किया। पदकारों के
 लक्ष्य लोक अदालत की मानक से शर्मा नामा ही प्रका
 है, उक्त पद शर्मा नामा के अनुसार शर्मा लीकृत
 करने हेतु लक्ष्य है कोई विवाद नहीं है। अतः
 जयकीशोर का जयकिशोर-पत्र गुताबिक शर्मा नामा लीकृत
 किया जाकर चक्र 8 SSW के प.न. 149/282 (8)
 किला के 5, 6, 15, 25, 16 के पूर्व श्री गुरुदेव (पत्थर
 जार्डन श्री गुरुदेव) उत्तर से दक्षिण की ओर जल्लेड किल
 के 0.025 है जोकि 2 बिना गलत लीकृत किया
 जाता है। तदुपलक्ष्य (शर्मा नामा) हनुमान गढ़ की
 गुताबिक शर्मा नामा शर्मा के अन्त-द्वारा
 हेतु शर्मा नामा। शर्मा नामा उक्त शर्मा नामा लीकृत

शर्मा
R-T. 1 मला
R-T. 1 25/5

Pravender
45-4/2018
1704
बुधवार 15

(al)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

स्टेडा, पणवनी केवल शुका टोका -
कारिबल इपुल नी काई)

(कादेडा) पुगभा गया।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official